EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 1422—1423

Dated : 20-7-2002

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 264.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) नियम 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) कुटुम्ब से बल के सदस्य का पति की पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं ।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि बल के ऐसे सदस्यों की दशा में, जो बल के प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किए गए हैं, स्थैतिक विरचना में उनकी पदावधि चार वर्ष होगी ।"

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उप नियम (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि बल के ऐसे सदस्यों के मामलों में, जिन्हें अनुदेशकों के रूप में पैनल में शामिल किया गया है, लोकहित में अनुदेशात्मक कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए बल के एक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे प्रशिक्षण संस्थान में उनकी तैनाती पर विचार किया जा सकता है ।"

5. उक्त नियमों के नियम 11 के दूसरे और तीसरे परन्तुकों का लोप किया जाएगा ।

6. उक्त नियमों में नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"19. कतिपय मामलों में बल के किसी सदस्य की पदावधि बढ़ाने या घटाने की शक्ति : जहां बल के महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि बल के हित में या कठिनाई के मामलों में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों में, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, बल के सदस्य की पदावधि को बढ़ा या घटा सकेगा ।"

[फा. सं. 17/113/2001-कार्मिक/सीसुबल/पार्ट फाइल]

दुर्गा शंकर मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण :—मुख्य नियमों को 15 मार्च, 2000 के भारत सरकार के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 100 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2002

G.S.R. 264.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby make the following rules to amend the Border Security Force (Tenure of Posting and Deputation Rules 2000, namely :—

1 (1) These rules may be called the Border Security Force (Tenure of Posting and Deputation amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force (Tenure of Posting and Deputation) Rules 2000, (herein after referred to as the said rules) in Rule 2, for clause (j) the following clause shall be substituted namely :—

"(j) 'Family' means the spouse, dependent children and dependent parents of the member of the Force,"

3. In the said rules in rule 5, in sub-rule (1) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in the case of the members of the Force appointed as instructors in the training institutions of the Force. there tenure with a static formation shall be four years."

4. In the said rules, in rule 8, in sub rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that in the cases of the members of the Force, who have been empanelled as instructors may, in public interest, be considered for posting from one training institute of the Force to the other for performing the instructional duties."

5. In the said rules, in rule 11, the second and the third proviso shall be omitted.

6. In the said rules, after rule 18, the following rule shall be added, namely :—

"19. Power to extend or reduce tenure of a member of the Force in certain cases. Where the Director General, of the Force is satisfied that in the interest of the Force or in the cases of hardship, it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for the reasons to be recorded in writing extend or reduce the tenure of a member of the Force."

[No. 17/113/2001-Pers/BSF/Part File]

DURGA SHANKAR MISHRA,

Director (Pers.)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR-100 dated 15th March, 2000.